भारतीय न्याय संहिता-2023

भारत में आपराधिक कानून का विकास

- भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली स्वतंत्रता से पूर्व के युग के दौरान अंग्रेजों द्वारा स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करती है। वर्ष 1860 में एक भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की स्थापना की गई थी। इसने अपराध को परिभाषित किया और उचित दंड निर्धारित किया। इसे अंग्रेजी आपराधिक कानून के अनुरूप विकसित किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता 1861 में अधिनियमित की गई थी। इसने आपराधिक प्रक्रिया के चरणों में पालन किए जाने वाले नियमों को स्थापित किया। वर्ष 2000 में, भारत सरकार ने केरल और कर्नाटक के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.एस. मलीमठ के आधुनिक सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सदियों पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की।
- 2023 में, भारत ने समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख कानूनी संविधियों में संशोधन किया। भारतीय दंड संहिता (1860) को भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) से प्रतिस्थापित किया गया, दंड प्रक्रिया संहिता (1973) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) से प्रतिस्थापित किया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बी.एस.ए.) से प्रतिस्थापित किया गया। ये नए कानून महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधानों सहित अद्यतन सुविधाएँ प्रस्तुत करते हैं और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के आवश्यक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.)

- भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) *25 दिसंबर 2023 को अधिनियमित किया गया और 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हुआ*, जिसने 1860 के भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) का स्थान लिया। नए बी.एन.एस. 2023 ने समकालीन सामाजिक परिवर्तनों और साइबर अपराधों की उभरती प्रकृति के कारण पहले के आई.पी.सी. 1860 को प्रतिस्थापित किया।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 का महत्व

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 को भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए कानून लाने के लिए एक प्रगतिशील कदम माना जाता है क्योंकि यह औपनिवेशिक युग के दौरान तैयार की गई भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के अंत का प्रतीक है। औपनिवेशिक युग का सबसे अधिक विवादित कानून-राजद्रोह, भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत कोई स्थान नहीं पाता है, जो उन लोगों के लिए उम्मीद जगाता है, जो भारतीय कानून और दंड प्रणाली में ऐसे बदलावों के लिए बहस कर रहे थे। भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) में सामुदायिक सेवाओं और छोटे अपराधों के लिए दंड जैसे नए तरीके भी सम्मिलित हैं, जो दोषियों को उनके छोटे अपराधों और लंबी सुनवाई के लिए जेल से बाहर रखेंगे। ध्यातव्य है कि समय के परिवर्तन और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, सामाजिक आवश्यकताओं और अपराधों की प्रकृति बदल गई है।
- भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) ने इस तरह की प्रगति से सामंजस्य बनाने हेतु बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान बनाए हैं। उदाहरण के लिए, साइबर अपराध से संबंधित दंड के बारे में, जिसका शुरू में आई.पी.सी. के अंतर्गत कोई स्थान नहीं था। सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का पालन करते हुए, बी.एन.एस. ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संदर्भ में दंड के अपने दायरे (स्कोप) को बहुत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता भी अपनी व्यापक पहुँच के कारण महत्वपूर्ण है, जिसमें घृणास्पद भाषण, मानहानि और भीड़ द्वारा हत्या जैसे अपराध सम्मिलित हैं, जिनकी मौजूदगी आज के भारत में काफी हद तक पाई जा सकती है। पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित दंड भी बी.एन.एस. में विद्यमान हैं, जो समय और समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को दर्शाता है। इसलिए, भारतीय न्याय संहिता वर्तमान समय के अपराधों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की मुख्य विशेषताएँ :-

- भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) में 20 अध्याय, 358 धाराएँ हैं (आई.पी.सी. में 511 धाराएँ थीं)।
- भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की तुलना में, बी.एन.एस. ने जुर्माने में वृद्धि की है और सजा (दंड) बढ़ाई है। साथ ही, सामुदायिक सेवा जैसे दंड के नए रूपों का निर्देश दिया गया है।
- यह तुलनात्मक रूप से अधिक सुव्यवस्थित है, उदाहरणार्थ अध्याय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे अपराधों को अध्याय 5 के अंतर्गत सुदृढ़ किया गया है (आई.पी.सी. में, यह बिखरा हुआ था)।
- धारा 2 (8) के अंतर्गत, 'दस्तावेजों' में 'इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स' भी सम्मिलित हैं।
- धारा 2 (10) के अंतर्गत, 'लिंग' (जेंडर) को समावेशी तरीके से परिभाषित किया गया है। यह पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को संदर्भित करता है। इसी तरह, धारा 2 (3) के अंतर्गत 'बच्चा' का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है।

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन

1. दंड के रूप में सामुदायिक सेवा- यह अवधारणा, जो आई.पी.सी. में अनुपस्थित थी, अब छोटे अपराधों पर लागू होती है, जैसे कि

   - उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना,
   - आत्महत्या का प्रयास,
   - नशे में धुत व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक कदाचार,
   - मानहानि और इसी तरह के अपराध।

   इस प्रावधान के अंतर्गत अपराधियों द्वारा अवैतनिक कार्य करना आवश्यक है, जो समुदाय को लाभ पहुँचाता है, जिससे वे अपने कार्यों के माध्यम से समाज में योगदान करते हैं (गृह मंत्रालय, 2023)।

2. **राजद्रोह-** भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 124 A में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष लाने के लिए शब्दों का उपयोग करता है, चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो या संकेतों या दृश्य चित्रण के माध्यम से, उसे आजीवन कारावास या तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माना या सिर्फ जुर्माने (आई.पी.सी.) से दंडित किया जा सकता है। राजद्रोह, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान एक कठोर कानून के रूप में देखा जाता था, का इस्तेमाल स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को डराने और दमन के लिए किया जाता था।
   भारत में पहला राजद्रोह का मामला 1891 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में क्वीन एम्प्रेस बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस का था, जहाँ ब्रिटिश सरकार की नीति की आलोचना प्रकाशित करने के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था (पार्थसारथी, 2022)। वर्ष 1897 में, बाल गंगाधर तिलक को उनके भाषणों के लिए राजद्रोह के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। महात्मा गांधी को भी 'यंग इंडिया' जर्नल में उनके काम के लिए 1922 में राजद्रोह के अंतर्गत छह साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

   - भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) ने आई.पी.सी. की धारा 124 A को निरस्त कर दिया है और उसकी जगह धारा 152 को प्रस्तुत किया है। 'राजद्रोह' शब्द का इस्तेमाल करने के बजाए, बी.एन.एस. की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर ध्यान देती है (गृह मंत्रालय, 2023)।

3. **इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपराध करना-** इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने इन प्रगतियों द्वारा सक्षम अनुचित व्यवहारों या अपराधों पर ध्यान देने के लिए नए कानूनों के निर्माण को आवश्यक बना दिया है। ये हालिया अपराध 1860 के आई.पी.सी. द्वारा कवर नहीं किए गए थे।

   - यह अंतर दूर करने के लिए, बी.एन.एस. की धारा 2 (39) प्रस्तुत की गई है। यह निर्दिष्ट करता है कि प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया से संबंधित सभी शब्दों का वही अर्थ होगा, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बी.एन.एस., 2023) (गृह मंत्रालय, 2023) में परिभाषित किया गया है। भारत सरकार के अध्याय I भारत सरकार (भारत सरकार, 2000) में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 डेटा, कंप्यूटर सिस्टम, साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, डिजिटल हस्ताक्षर आदि जैसे शब्दों को परिभाषित करता है। इन अपराधों के लिए सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, बी.एन.एस. की धारा 2 (8) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को सम्मिलित करने के लिए 'दस्तावेजों' की परिभाषा का विस्तार करती है,

4. **मानहानि-** भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 499 में कहा गया है, "जो कोई भी व्यक्ति, बोले गए शब्दों या पढ़े जाने के इरादे से या संकेतों या दृश्य चित्रणों द्वारा, किसी व्यक्ति के बारे में कोई आरोप लगाता या प्रकाशित करता है, जिसका उद्देश्य नुकसान पहुँचाना है या यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि ऐसा आरोप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाएगा, मानहानि करता है" (आई.पी.सी., 1860)। जो कोई किसी दूसरे की मानहानि करता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत, दंड में अब 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों सम्मिलित हैं, साथ ही सामुदायिक सेवा का विकल्प भी सम्मिलित है (गृह मंत्रालय, 2023)।

5. **आत्महत्या का प्रयास-** भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 309 में आत्महत्या के प्रयास को एक आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो पहले से ही परेशान और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को दंडित करता है (भारतीय दंड संहिता, 1860)। मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 (एम. एच.सी.ए.) का उद्देश्य आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त करना था, लेकिन आई.पी.सी. के अपराधीकरण के कारण भ्रम की स्थिति बनी रही।

- भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) ने इसे सरल बनाते हुए कहा कि आत्महत्या का प्रयास एक आपराधिक अपराध नहीं है, सिवाय इसके कि जब यह किसी सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य को पूरा करने से रोकने या मजबूर करने के इरादे से किया गया हो। ऐसे मामलों में, इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष तक की साधारण कारावास या सामुदायिक सेवा या दोनों की सजा हो सकती है।

6. **भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग)-** मॉब लिंचिंग सामुदायिक 'न्याय' की आड़ में किया जाने वाला एक बर्बर कृत्य है, जिसमें किसी व्यक्ति को कथित अपराध के लिए सजा के तौर पर कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए मार दिया जाता है (श्रीवास्तव, 2024)। आई.पी.सी. ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया था। बी.एन.एस. में अब मॉब लिंचिंग के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं, जिसमें मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है।
7. **अवयस्कों से बलात्कार-** भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 376 के अंतर्गत, बलात्कार करने वाले को कम-से-कम दस साल के कारावास की सजा दी जाती थी। यह आजीवन कारावास भी हो सकता था और जुर्माना भी लगाया जा सकता था। बी.एन.एस. ने इसकी अधिकतम सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड कर दिया है (गृह मंत्रालय, 2023)।
8. **आतंकवाद -** भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023 की धारा 111 आतंकवादी कृत्य के अपराध के बारे में उल्लेख करती है-

- "(1) किसी व्यक्ति को आतंकवादी कृत्य करने वाला तब माना जाता है जब वह भारत में या किसी बिदेशी देश में भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक हिस्से को डराने या किसी कृत्य से सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से कोई कृत्य करता है।" (गृह मंत्रालय, 2023)

- भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) ने आतंकवाद को पहली बार एक सामान्य कानून के हिस्से के रूप में एक पृथक अपराध के रूप में परिभाषित किया (खान, 2023)। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी इस धारा के प्रावधान के अंतर्गत कोई आतंकवादी कृत्य करता है, उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दी जाएगी, बिना पैरोल के और दस लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा (गृह मंत्रालय, 2023)। बी.एन.एस. ने जनता के किसी भी वर्ग को 'डराना' या 'सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना' को सम्मिलित करके इसका दायरा बढ़ा दिया है।

9. **संगठित अपराध-** भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) ने धारा 111 के अंतर्गत संगठित अपराध की शुरुआत की और कहा कि कोई भी निरंतर गतिविधि, जो प्रकृति में गैर-कानूनी है और समाज को नुकसान पहुँचाती है, उसे मृत्युदंड, कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह धारा इस प्रकार है- 111.(1) अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या (कॉन्ट्रेक्ट किलिंग), आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध, व्यक्तियों, ड्रग्स, हथियारों या अवैध वस्तुओं या सेवाओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी रैकेट सहित कोई भी निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि, संगठित अपराध माना जाएगा। संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से, हिंसा, हिंसा की धमकी, धमकी, जबरदस्ती, भ्रष्टाचार या संबंधित गतिविधियों या वित्तीय लाभ सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य गैर-कानूनी तरीकों का उपयोग करके, संगठित अपराध माना जाएगा।

- इसके अलावा, बी.एन. एस. अधिनियम की धारा 110 में छोटे अपराध' की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई है। इसका मतलब है छोटा संगठित अपराध या सामान्य रूप से ऐसा अपराध, जो देश के नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। इस तरह के अपराध के लिए एक वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी, जो सात साल तक बढ़ाई जा सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना होगा।

10. **घृणास्पद भाषण -** भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत घृणास्पद भाषण का प्रावधान भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 153 A, धारा 295 A और धारा 505 के प्रावधानों पर आधारित है। बी. एन.एस. ने घृणास्पद भाषण से निपटने के लिए प्रावधानों को अद्यतन और विस्तारित किया, इसे एक अपराध के रूप में माना, जिसे आई.पी.सी. के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया था, संचार की विकसित प्रकृति और इस तरह के भाषण को प्रसारित करने में डिजिटल प्लेटफार्मों की बढ़ती भूमिका को मान्यता दी। इस धारा के अंतर्गत सजा के प्रावधान में सख्त दंड और 3 साल तक का कारावास सम्मिलित है (गृह मंत्रालय, 2023)।
11. **पर्यावरण प्रदूषण-** वर्तमान पर्यावरणीय संकट को पहचानते हुए, बी.एन.एस. पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देने के लिए विशिष्ट प्रावधान प्रस्तुत करता है, जो वर्तमान समाज में पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल देता है। ये प्रावधान पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों को दंडित करते हैं और पर्यावरण कानूनों के सख्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं, जिसमें दस वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है (गृह मंत्रालय, 2023)।
12. **कपटपूर्ण तरीके अपनाकर यौन संबंध बनाना आदि-** भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 69 में बलात्कार के अंतर्गत कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाने के अपराध पर ध्यान देने के प्रावधान सम्मिलित हैं। यहाँ कपटपूर्ण तरीकों में रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, पहचान छिपाने के बाद प्रलोभन या विवाह करना सम्मिलित है (गृह मंत्रालय, 2023)। उपर्युक्त अपराध की सजा में दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना सम्मिलित है।

प्रश्नोत्तरी

1. निम्नलिखित में से किसे भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था?

(क) सी.आर.पी.सी. (ख) आई.पी.सी.

(ग) साक्ष्य अधिनियम (घ) दंड संहिता **(उत्तर-ख)**

2. बी.एन.एस. कब अधिनियमित किया गया था?

(क) 1 जून 2020 (ख) 1 जुलाई 2023

(ग) 25 दिसंबर 2023 (घ) 25 दिसंबर 2024 **(उत्तर- ग)**

3. आई.पी.सी. का मसौदा किसने तैयार किया था?

(क) वॉरेन हेस्टिंग्स (ख) थॉमस बैबिंगटन मैकाले

(ग) माउंटबेटन (घ) एलिजाबेथ **(उत्तर- ख)**

4. आई.पी.सी. की धारा 124A किससे संबंधित है?

(क) राजद्रोह (ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध

(ग) मानहानि (घ) अवयस्क से बलात्कार **(उत्तर- क)**

5. इनमें से कौन-सा एक संगठित अपराध है?

(क) बलात्कार (ख) आतंकवाद

(ग) मानव तस्करी (घ) मानहानि **(उत्तर ग)**

Springboard ACADEMY

भारतीय न्याय संहिता 2023

परिचय

- 12 दिसंबर, 2023
  - ✓ लोकसभा में प्रस्तुत किया गया
- 20 दिसंबर, 2023
  - ✓ लोकसभा में पारित किया गया
- 21 दिसंबर, 2023
  - ✓ राज्यसभा में पारित किया गया
- 25 दिसंबर, 2023
  - ✓ राष्ट्रपति की स्वीकृति - कानून लागू हुआ
- 01 जुलाई, 2024
  - ✓ कानून लागू हुआ

- भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 को 25 दिसंबर, 2023 को अधिनियमित किया गया, जिसने भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) 1860 को निरस्त कर दिया और देश की नई दंड संहिता के रूप में प्रतिस्थापित किया। बी.एन.एस. भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) 1860 को प्रतिस्थापित करती है और उसमें अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित एवं संशोधित किया गया है।
- यह 1 जुलाई 2024 को लागू हुई और भारत की पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है।

बी.एन.एस. का विकास

- यह कानून एक शताब्दी से भी अधिक समय से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली भारतीय दंड संहिता, 1860 पर आधारित है।
- ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान तैयार किए गए इस कानून ने कई अपराधों के लिए व्यापक कानूनी वर्गीकरण और संबंधित दंड निर्धारित किए। यद्यपि तेजी से बदलते सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी संदर्भ के साथ समन्वय रखने के लिए पिछले कुछ वर्षों में आई.पी.सी. में अनेक संशोधन हुए हैं।
- अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आई.पी.सी. को संगठित अपराध, साइबर अपराध और आतंकवाद जैसी आधुनिक समस्याओं से निपटने में कठिनाई हो रही थी।
- इसलिए एक अधिक समकालीन और प्रभावी कानूनी ढाँचा आवश्यक था और इस आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की स्थापना की गई। यह नया कानून गृह मामलों की स्थायी समिति (एच.ए.एस.सी.) की समीक्षाधीन है। यह नए अपराधों को सम्मिलित करके, मौजूदा अपराधों के लिए दंड को कठोर बना कर और इसके अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखते हुए आई.पी.सी. को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।

बी.एन.एस. का औचित्य

- सरकार ने व कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने की गारंटी के उद्देश्य से कानूनी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए मौजूदा आपराधिक कानून का मूल्यांकन करना उचित समझा। सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कानून को अद्यतन करने और आम लोगों को न्याय तक त्वरित पहुँच प्रदान करने के बारे में भी सोचा। नागरिकों के जीवन एवं स्वतंत्रता की गारंटी देने और उन पर केंद्रित एक कानूनी ढाँचा विकसित करने के लिए, आधुनिक जनता की आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया गया।
- बी.एन.एस. को शुरू करने के औचित्य का प्राथमिक तर्क वर्तमान कानूनी प्रणाली में सुधार करना था, जो पुराने कानूनों, प्रक्रियात्मक बाधाओं और न्याय की प्रदायगी में महत्वपूर्ण देरी से बोझिल थी।
- सरकार का उद्देश्य विभिन्न कानूनों को एक ही संहिता के अंतर्गत एकीकृत करके, देशभर में कानूनी प्रक्रियाओं में स्पष्टता, दक्षता और पहुँच को बढ़ावा देना है।

- इसके अतिरिक्त, यह कानून सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देकर न्यायिक दक्षता संवर्धित करने और मामलों के लंबित मामलों को कम करने का प्रयास करता है। इस व्यापक कानूनी सुधार के औचित्य के तर्क को कई प्रमुख आयामों में खोजा जा सकता है-
   i. सरलीकरण और सुदृढ़ीकरण- बी.एन.एस. का उद्देश्य एक एकीकृत संहिता के अंतर्गत प्रासंगिक कानूनों को सुदृढ़ करके, कानूनी प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना, अस्पष्टता को कम करना एवं कानूनी पेशेवरों (प्रोफेशनल्स) और जनता दोनों के लिए स्पष्टता को संवर्धित करना है।'
   ii. न्याय तक पहुँच का संवर्धन- बी.एन.एस. कानूनी प्रक्रियाओं में दक्षता को बढ़ावा देकर, लंबित मामलों को कम करके और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को सरल बना कर न्याय तक पहुँच में सुधार करना चाहता है। इसमें डिजिटल एकीकरण के प्रावधान सम्मिलित हैं, जो मामलों को आसानी से दायर करने, दूरस्थ सुनवाई और कानूनी दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुँच की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कानूनी प्रणाली सभी नागरिकों की आवश्यकताओं के लिए अधिक सुलभ एवं उत्तरदायी बनती है।
   iii. न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देना- बी.एन.एस. ने सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं, विशिष्ट श्रेणियों के मामलों के लिए विशेष न्यायालयों और वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) के लिए तंत्र के माध्यम से न्यायिक दक्षता बढ़ाने के उपाय प्रस्तुत किए हैं।
   iv. तकनीकी प्रगति के अनुकूल होना- कानूनी ढाँचे में डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों का एकीकरण न केवल दक्षता बढ़ाता है बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम, ऑनलाइन केस मैनेजमेंट और वर्चुअल कोर्ट कार्यवाही बी.एन.एस. द्वारा सुगम की गई कुछ तकनीकी प्रगति हैं, जिसका उद्देश्य भारत के कानूनी ढाँचे को वैश्विक मानकों के साथ सरेखित करना एवं आधुनिक समाज की डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करना है।
   v. संवैधानिक सिद्धांतों और अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना- नई कानूनी संहिता में ऐसे प्रावधान सम्मिलित हैं, जो व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देते हैं और कानूनी कार्यवाही में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। बी.एन.एस. का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करके एक ऐसा कानूनी वातावरण बनाना है, जो सभी नागरिकों के लिए न्याय, निष्पक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देता है।

भारतीय न्याय संहिता नाम क्यों रखा गया?

- 'न्याय'सामाजिक न्याय का द्योतक है। वर्तमान बी.एन.एस. दंडात्मक विचार से न्याय की ओर परिवर्तन है और प्रतिरोधक पहलू को रोकता है, ऐसे प्रावधान प्रस्तुत करता है, जो सभी हितधारकों को न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। न्याय का पहलू प्रतिशोधात्मक से सुधारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन के माध्यम से दिखाई देता है।

क्र.सं.	परिवर्तन	विवरण
1.	सामुदायिक सेवा	इस अधिनियम में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, जेल में भीड़-भाड़ कम हो जाती है, समुदाय को अपराधियों द्वारा किए गए कार्यों से लाभ मिलता है और समुदाय के भीतर उन्हें जवाबदेह बनाकर उनके पुनर्वास में सहायता मिलती है।
2.	संगठित अपराध	बी.एन.एस. की धारा 111 संगठित अपराध को व्यापक रूप से परिभाषित करती है, जिसमें समूह द्वारा किए गए अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध पर हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, मादक पदार्थ आदि सम्मिलित हैं।
3.	आतंकवाद	अधिनियम की धारा 113 आतंकवाद को भारत या विदेश में भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरा पहुँचाने, जनता को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के इरादे से किया गया अपराध मानती है।
4.	समावेशी भाषा का उपयोग	A) बी.एन.एस. धारा 2 (10) के अंतर्गत ट्रांसजेंडर शब्द का उपयोग करती है, 'जेंडर' (लिंग) की परिभाषा के अंतर्गत 'जेंडर' आई.पी.सी. में अविद्यमान था; B) अवयस्कों को 'बच्चे' से प्रतिस्थापित किया गया है; और C) चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति सम्मिलित की गई है।
5.	एक पृथक अपराध के रूप में छीना-झपटी	बी.एन.एस. की धारा 304 में छीना-झपटी को चोरी से पृथक एक अपराध के रूप में माना गया है।
6.	निम्नलिखित प्रावधानों को	उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुरूप, बी.एन.एस. में इन प्रावधानों को हटा

	हटाया गया- A) व्यभिचार B) आत्महत्या का प्रयास C) अप्राकृतिक अपराध	दिया गया है।
7.	'हिट एंड रन' के मामले (टक्कर मारने और भाग जाने के मामले)	'हिट एंड रन' के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसे बी.एन.एस. 2023 की धारा 106 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनाया गया है। जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना का खुलासा किए बिना घटनास्थल से भाग जाता है, उसे दस साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
8.	किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना, धंधे में लगाना या इससे जोड़ना	किसी अपराध को करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, नौकरी पर रखने या इससे जोड़ने के कृत्य को बी.एन.एस. 2023 की धारा 95 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके लिए न्यूनतम सात वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है, जिसे अधिकतम 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
9.	राजद्रोह	सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता एवं अखंडता को खतरे में डालने वाले अलगाववादी कृत्यों पर एक नई धारा जोड़ी गई है और इसे बी.एन.एस. 2023 में धारा 152 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है।
10.	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकृति	दस्तावेज की परिभाषा में 'इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स' को सम्मिलित किया गया है।
11.	जीरो एफ.आई.आर.	जीरो एफ.आई.आर. (जीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट) एक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे वह घटना किसी भी क्षेत्राधिकार में हुई हो। जीरो एफ.आई.आर. के औचित्य का विचार बिना किसी देरी के शिकायत के त्वरित पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है, खासकर ऐसे मामले में, जहाँ तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

जागरूकता का प्रसार

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक मोबाइल एप्लीकेशन' एन.सी.आर.बी. संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज' लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन तीन नए आपराधिक कानूनों का संकलन है। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। यह एप्लीकेशन नए कानूनों के बारे में सूचना के संवर्धन में उपयोगी है।

डिजिटल हो रहा है!

- शिकायतकर्ता किसी निर्दिष्ट ई-एफ.आई.आर. पोर्टल या पुलिस वेबसाइट के माध्यम से पुलिस शिकायत दर्ज कर सकते हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से संबंधित पुलिस स्टेशन को शिकायत /सूचना भेज सकते हैं।

जीरो एफ.आई.आर.

- पुलिस के लिए एफ.आई.आर दर्ज करना अनिवार्य है, जहाँ किसी संज्ञेय अपराध के बारे में मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है, भले ही उसके पास अधिकार क्षेत्र हो या न हो (बी.एन.एस. एस. की धारा 173)
- जीरो एफ, आई.आर. दर्ज होने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन ऐसी एफ.आई.आर. को उस पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर सकता है, जिसके पास मामले की जाँच करने का अधिकार क्षेत्र है।

प्रश्नोत्तरी

1. **भारतीय न्याय संहिता 2023 में 'संहिता' शब्द संदर्भित करता है-**
   (क) कानूनी निर्णय
   (ख) कानूनी संहिता
   (ग) कानूनी विद्वान
   (घ) कानूनी सुधार

(उत्तर- ख)

2. **भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार, दंड का कौन-सा नया रूप सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक भागीदारी पर बल देता है?**
   (क) जुर्माना
   (ख) कारावास
   (ग) सामुदायिक सेवा
   (घ) सार्वजनिक माफी

(उत्तर- ग)

3. **भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार, जेंडर (लिंग) की परिभाषा में अब स्पष्ट रूप से सम्मिलित हैं-**
   (क) केवल पुरुष और महिला
   (ख) पुरुष, महिला और इंटरसेक्स व्यक्ति
   (ग) पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति
   (घ) पुरुष, महिला और नॉन-बाइनरी व्यक्ति

(उत्तर- ग)

4. **भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत, जीरो एफ.आई.आर. प्रावधान क्या अनुमति देता है?**
   (क) बिना जाँच के आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी
   (ख) क्षेत्राधिकार के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में एफ. आई.आर. दर्ज करना
   (ग) बिना जाँच के एफ.आई.आर. को निरस्त करना
   (घ) नामित पुलिस अधिकारी द्वारा विशेष जाँच

(उत्तर- ख)

5. **भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार, राजद्रोह की संशोधित परिभाषा में अब निम्नलिखित पर बल दिया गया है-**
   (क) सरकारी नीतियों की आलोचना
   (ख) राज्य के खिलाफ हिंसा का समर्थन (एडवोकेसी)
   (ग) बिना अनुमति के सार्वजनिक विरोध
   (घ) राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर

(उत्तर- ख)

भारतीय न्याय संहिता 2023

सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना

- "किसी भी व्यक्ति को अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, चाहे वह उसके या किसी अन्य के विरुद्ध हो।"

महात्मा ज्योतिबा फुले

भारत में आपराधिक कानूनों का विकास

- भारतीय दण्ड संहिता की रचना प्रथम भारतीय विधि आयोग द्वारा की गई थी, जिसके सदस्य नीलेओड, एंडरसन और मेलेट थे तथा लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। अंग्रेज़ी और भारतीय कानूनों और विनियमों के अलावा, उन्होंने नेपोलियन की संहिता और लिविंगस्टोन की लुइसियाना संहिता को भी संदर्भित किया। वर्ष 1850 में पूरा होने के बाद, इसे 1856 में विधान परिषद में लाया गया और अंततः 6 अक्तूबर 1860 को इसे मंजूरी दी गई। इस प्रकार, 1 जनवरी 1862 को भारतीय दण्ड संहिता लागू हुई। भारतीय दण्ड संहिता देश के आपराधिक कानून का एक संहिताकरण है। यह मौलिक विधि के रूप में अनन्य रूप से अपराधों पर केंद्रित है।
- वर्ष 1882 में समान दण्ड प्रक्रिया संहिता पारित की गई। इसके बाद, वर्ष 1898 की दण्ड प्रक्रिया संहिता आई, जो वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973) के अधिनियमित होने तक प्रचलित रही। दण्ड प्रक्रिया संहिता को 25 जनवरी 1974 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई।'

आपराधिक कानून विधिशास्त्र

- आपराधिक कानून अनिवार्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और एक सशक्त न्याय प्रणाली प्रदान करने के लिए कर्तव्य से बंधा है। भारत ने आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए, जिस प्रतिकूल सामान्य कानून प्रणाली को अपनाया है, वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा दी गई थी। यह हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक प्रमुख सिद्धांत है कि किसी अपराध के आरोपित को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि आरोपी का अपराध सिद्ध न हो जाए। इसी तरह आरोपी को चुप रहने के अधिकार से सुरक्षा प्राप्त है और उसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। निर्दोषों की रक्षा करने और दोषियों को दण्डित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली मौजूद है।
- उचित निवारक और दण्डात्मक उपायों के क्रियान्वयन से निजी प्रतिशोध को रोकने का उद्देश्य भी पूरा होता है, जो समाज में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करता है। अधिकारों का उल्लंघन होने पर दण्ड प्रदान करने वाले विधायी अधिनियम पारित किए जाते हैं। जब लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो राज्य का दायित्व है कि वह उल्लंघनकारी व्यक्ति पर निष्पक्ष रूप से मुकदमा चलाए और दोषी पाए जाने पर उसे दण्डित करे। केवल तभी जब मौलिक दण्ड कानूनों को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियात्मक प्रक्रिया प्रभावी हों, उन्हें प्रभावी माना जा सकता है।

आपराधिक कानून विधिशास्त्र

- आपराधिक कानून अनिवार्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और एक सशक्त न्याय प्रणाली प्रदान करने के लिए कर्तव्य से बंधा है। भारत ने आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए, जिस प्रतिकूल सामान्य कानून प्रणाली को अपनाया है, वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा दी गई थी। यह हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक प्रमुख सिद्धांत है कि किसी अपराध के आरोपित को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि आरोपी का अपराध सिद्ध न हो जाए। इसी तरह आरोपी को चुप रहने के अधिकार से सुरक्षा प्राप्त है और उसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। निर्दोषों की रक्षा करने और दोषियों को दण्डित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली मौजूद है।
- उचित निवारक और दण्डात्मक उपायों के क्रियान्वयन से निजी प्रतिशोध को रोकने का उद्देश्य भी पूरा होता है, जो समाज में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करता है। अधिकारों का उल्लंघन होने पर दण्ड प्रदान करने वाले विधायी अधिनियम पारित किए जाते हैं। जब लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो राज्य का दायित्व है कि वह उल्लंघनकारी व्यक्ति पर निष्पक्ष रूप से मुकदमा चलाए और दोषी पाए जाने पर उसे दण्डित करे। केवल तभी जब मौलिक दण्ड कानूनों को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियात्मक प्रक्रिया प्रभावी हों, उन्हें प्रभावी माना जा सकता है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023

- ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को हाल ही में भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे 25 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
- भारतीय न्याय संहिता में आपराधिक गतिविधि की बदलती प्रकृति के साथ-साथ जाँच और कानूनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आवश्यक प्रौद्योगिकी सहायता की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है। नए कानून में मूल अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया गया है, जिसमें पीड़ित पर केंद्रित दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। नए कानून के कुछ लक्ष्य हैं- पुलिस की जवाबदेही को प्रोत्साहन देना, जन अधिकारों का संरक्षण करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, जैसे-ई-एफ.आई.आर. अपनाना और तलाशी और जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करना आदि।
- भारतीय न्याय संहिता में व्यक्तिगत अधिकारों को कायम रखा जाता है समावेशिता को बढ़ावा मिलता है, तथा अधिक न्यायपूर्ण एवं समान समाज की नींव रखने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाता है।
- भारतीय न्याय संहिता में आई.पी.सी. की संगत धाराओं को बनाए रखते हुए अपराधों की सूची में कुछ अतिरिक्त अपराध जोड़े गए हैं। इसमें अनेक जघन्य अपराधों के लिए दण्ड बढ़ाया भी गया है और उन अपराधों को हटा दिया गया है, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था।
- इसके अलावा विधि निर्माताओं ने भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों की सूची के लिए एक नया कानून बनाया है, साथ ही दण्ड के उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा को भी जोड़ा है। भारतीय न्याय संहिता में अन्य बातों के अलावा आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, वित्तीय घोटाले, पोंजी स्कीम, विपणन में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को 'संगठित अपराध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में इसी तरह के संगठित अपराधों के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

औचित्य

- नए आपराधिक कानूनों में प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान के संयोजन पर बल देते हुए भारतीय कानूनी प्रणाली को दुनियाभर की कानूनी प्रणालियों में सबसे आगे लाने का प्रयास किया गया है। हाल ही में बनाए गए आपराधिक कानूनों में आपराधिक न्याय संगठनों को जिम्मेदार बनाने, खुलेपन और निष्पक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रियाएँ बनाई गई हैं। निर्वाचन संबंधी अपराध, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध और आधिकारिक दस्तावेजों और मुद्राओं के साथ छेड़-छाड़ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी ध्यान दिया गया है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की मुख्य विशेषताएँ

- आई.पी.सी. के तहत आने वाली 511 धाराओं को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कुल 358 धाराओं में व्यवस्थित किया गया है।
- जहाँ आई.पी.सी. में एक ही अपराध के लिए कई प्रावधान थे, वहाँ भारतीय न्याय संहिता, 2023 में उन्हें एक ही जगह पर समेकित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 में आई.पी.सी. की धारा 410 से 414 के तहत चोरी की गई संपत्ति के लिए प्रावधानों को व्यवस्थित किया गया है।

क्या आप जानते हैं?

- इससे पहले, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को आई.पी.सी. में अलग-अलग स्थानों पर रखा जाता था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इसे अध्याय V में समेकित कर दिया गया है।

- इसने इस संहिता में प्रयुक्त भाषा को सरल बना दिया है तथा औपनिवेशिक भाषा और संदर्भों को हटा दिया है।
- जेंडर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- सर्वनाम 'वह' और इसके व्युत्पन्न किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं, चाहे वह पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर हो। ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 2 (के) के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 76 और 77 के अंतर्गत अपराधियों के लिए जेंडर के प्रति भेद समाप्ति तथा धारा 141 के अंतर्गत पीड़ितों के लिए जेंडर के प्रति भेद समाप्ति को प्रारंभ किया गया है।

- बालक की परिभाषा इस प्रकार की गई है इसका तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से है।

- मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास (कठोर, साधारण), संपत्ति की जब्ती और जुर्माने के साथ दण्ड के हिस्से के रूप में (धारा 4 के अंतर्गत) पहली बार 'सामुदायिक सेवा' को शामिल किया गया है। साथ ही कारावास की अवधि और जुर्माने में भी वृद्धि की गई है।
- सामुदायिक सेवा उन स्थितियों में दी जा सकती है, जहाँ लोक सेवक अवैध रूप से किसी व्यापार में संलग्न हो, जो कोई न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल हो, जो व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से विवश करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास करता हो, चोरी के मामलों में, जहाँ संपत्ति का मूल्य 5000 रुपये से कम हो, नशे के बाद सार्वजनिक स्थान पर दुराचार, मानहानि आदि।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 के अनुसार धोखे से या शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। इसके लिए जुर्माना और अधिकतम दस साल की साधारण या कठोर कारावास की सजा होगी।
- बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आदि जैसे यौन अपराधों के लिए अधिक कठोर कार्रवाई के साथ-साथ अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के लिए एक समेकित अध्याय दिया गया है। (धारा 63-78)
- बच्चों के प्रति अपराध, जिनमें परित्याग, अपहरण, वेश्यावृत्ति के लिए खरीद-फरोख्त या केवल खरीद-फरोख्त आदि जैसे अनेक मुद्दे शामिल हैं, धारा 91-97 के अंतर्गत निपटाए जाते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- मानव तस्करी के उद्देश्य से किए जाने वाले शोषण को इंगित करने के लिए 'भिक्षावृत्ति' शब्द जोड़ा गया है।

- चल संपत्ति में अब पेटेंट, कॉपीराइट आदि जैसी अमूर्त संपत्तियाँ भी शामिल होंगी।
- आर्थिक अपराधों में जालसाजी, जाली नोट और सरकारी स्टाम्प, आपराधिक विश्वासघात, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की वित्तीय योजनाएँ, हवाला लेन-देन आदि, जैसे अपराध शामिल होंगे।
- असंयत भीड़ द्वारा हत्या भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 101 (2) में प्रावधान है कि जब पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, जेंडर, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास या कम से कम सात वर्ष की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय XIV में जनहित के प्रति अपराधों के लिए दण्ड का उल्लेख और सूची दी गई है, जिसमें बकाया राशि के लिए आदेश (डिक्री) प्राप्त करना, अपराधियों को शरण देना, तथा झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना या बनाना शामिल है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय XV में जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता के प्रति अपराधों को शामिल किया गया है। इन अपराधों के उदाहरणों में सार्वजनिक उपद्रव, बीमारी फैलाने वाले लापरवाह या दुर्भावनापूर्ण कार्य, भोजन, पेय या नशीले पदार्थों में मिलावट, लापरवाही से गाड़ी चलाना आदि शामिल हैं।

क्र.सं.	अपराध	दण्ड	भारतीय न्याय संहिता
1.	बलात्कार	कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास (आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।) और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार तथा बार-बार अपराध करने वालों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान है।	धारा 65-73 के तहत
2.	किसी महिला के साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाना	10 वर्ष तक का कारावास और जुमनि का दण्ड दिया जा सकता है।	धारा 69 के तहत
3.	द्विविवाह	7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है।	धारा 81 के तहत
4.	भारत के बाहर के अपराधों	जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है। यदि दुष्प्रेरित कार्य	धारा 47 के तहत

	का भारत में दुष्प्रेरणा भारत में अपराधों का भारत के बाहर दुष्प्रेरण।	दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।	धारा 48 के तहत धारा 49 के तहत
5.	बलवा करना	जो कोई भी व्यक्ति घातक हथियार या किसी ऐसी चीज से लैस होकर दंगा करने का दोषी पाया जाता है, जिसका उपयोग अपराध के हथियार के रूप में करने से मृत्यु होने की संभावना हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुमनि से, या दोनों से, दण्डित किया आएगा।	धारा 189 के तहत
6.	आतंकवाद का कृत्य	पैरोल के लाभ के बिना मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना।	धारा 113 के तहत
7.	12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को उसके माता-पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा त्याग दिया जाना	7 वर्ष तक का कारावास या जुर्मान या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।	धारा 91 के तहत
8.	बच्चों के प्रति अपराध	भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 बच्चों के शोषण पर रोक लगाती है और बच्चों को अवैध गतिविधि में भर्ती करने, सम्मिलित करने या काम पर रखने वाले किसी भी व्यक्ति को दण्डित करती है। इसके लिए कम से कम 3 साल का कारावास और 10 साल तक का कारावास तथा दण्ड स्वरूप जुर्माना लगाया जा सकता है। कारावास 10 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। कारावास 14 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना हो सकता है।	धारा 95 तहत धारा 96-99 धारा 96 धारा 97 धारा 98 धारा 99
9.	भारत सरकार के साथ शांति स्थापित करने वाले किसी विदेशी सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना	आजीवन कारावास का दण्ड, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।	धारा 151 के तहत
10.	छीनना	किसी भी प्रकार का कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माना भी देना होगा।	धारा 302 के तहत
11.	निजी प्रतिरक्षा का अधिकार	भारतीय न्याय संहिता, 2023 विभिन्न परिस्थितियों में निजी बचाव का अधिकार प्रदान करता है।	धारा 34-44 के तहत
12.	तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाना	कारावास जो दस वर्ष तक का हो सकता है तथा जुर्माना भी हो सकता है।	धारा 106 के तहत
13.	संगठित अपराध	संगठित अपराध किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर निरंतर की जाने वाली कोई भी अवैध गतिविधि है, जिसमें अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, संविदा पर हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी शामिल है। संगठित अपराध के लिए दिया जाने वाला अधिकतम दण्ड मृत्युदण्ड है।	धारा 111 के तहत

प्रश्नोत्तरी

1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 का उद्देश्य क्या है?

(क) शैक्षिक स्तर में सुधार करना
(ख) आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना
(ग) भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को संशोधित और अद्यतन करना
(घ) बुनियादी संरचना का विकास करना

(उत्तर-ग)

2. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की कौन-सी धारा आतंकवादी कृत्य के अपराध से संबंधित है?

(क) धारा 23
(ख) धारा 113
(ग) धारा 61
(घ) धारा 69

(उत्तर-ख)

3. भारत में भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.), 1973 के स्थान पर जगह कौन-सा नया कानून लाया गया?

(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
(ख) भारतीय न्याय संहिता, 2023
(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
(घ) भारतीय नागरिक अधिनियम, 2023

(उत्तर-ख)

4. 'व्यक्ति का अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार' भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किस धारा के अंतर्गत आता है?

(क) धारा 37
(ख) धारा 35
(ग) धारा 49
(घ) धारा 69

(उत्तर-क)

5. भारत में आपराधिक कानून कब लागू हुआ था?

(क) 1 अक्तूबर 2024
(ख) 1 जुलाई 2024
(ग) 5 सितंबर 2024
(घ) 8 नवंबर 2024

(उत्तर-ख)

मामले का अध्ययन

आप भारतीय न्याय संहिता में न्याय के लिए सुधारात्मक, पुनर्वासात्मक और समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण जानना चाहेंगे-

- सामुदायिक सेवा का लक्ष्य पुनर्स्थापनात्मक न्याय और पुनर्वास के वैश्विक रुझानों के अनुरूप दंडात्मक उपायों को प्रतिस्थापित करना है। सामुदायिक सेवा लघु अपराधों पर लक्षित है, जैसे-
- सार्वजनिक मद्यपान (धारा 355 भारतीय न्याय संहिता)
- 5000 रुपये से कम की चोरी (धारा 303 भारतीय न्याय संहिता)
- वैध शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास (धारा 226 भारतीय न्याय संहिता)
- मानहानि (धारा 356 भारतीय न्याय संहिता)
- अवैध व्यापार में लोक सेवकों की भागीदारी। (धारा 202 भारतीय न्याय संहिता)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के तहत एक उद्घोषणा के जवाब में गैर-उपस्थिति।

आप और अधिक जानना चाहेंगे!

नया कानून लागू करने का औचित्य

Springboard ACADEMY

नए कानून बनाने के पीछे निहित उद्देश्य कानूनी प्रणाली में विभिन्न कमियों और चुनौतियों का समाधान करना है-

- **कानूनी प्रणाली की जटिलता :** मौजूदा कानून और प्रक्रियाएँ जटिल थीं, जिससे आम नागरिकों के लिए उनका पालन करना कठिन हो गया था।
- **अदालतों में लंबित मामलों की संख्या :** अदालतों में लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है, जिसके कारण न्याय मिलने में देरी हो रही है।
- **दोषसिद्धि दर का कम होना :** वर्तमान कानूनी संरचना के परिणामस्वरूप सफल दोषसिद्धि की दर कम है, जिससे कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है।
- **अपराधों के लिए अपर्याप्त जुर्माना :** कुछ अपराधों के लिए लगाया गया जुर्माना अपराध की गंभीरता के अनुरूप है, जिसके कारण दण्ड संरचना की समीक्षा करनी आवश्यक हो जाती है।
- **जेलों में अत्यधिक भीड़ :** जेलों में विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या के कारण जेलों में अत्यधिक भीड़ होती है, और इसी से कार्यक्षम न्यायिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता का पता चलता है।
- **आधुनिक प्रौद्योगिकी को सीमित रूप से अपनाना :** आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने में कानूनी प्रणाली धीमी रही है, जिससे दक्षता और पहुँच में बाधा उत्पन्न हुई है।
- **जाँच में विलंब :** जाँच में अक्सर विलंब होता है, जिससे महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र करने में बाधा उत्पन्न होती है और कानूनी कार्रवाई लंबी खिंच जाती है।
- **जाँच और सुनवाई प्रक्रिया की जटिलता :** जाँच और सुनवाई प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण दक्षता की कमी और लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है।
- **न्याय संबंधी साक्ष्य का अपर्याप्त उपयोग :** कानूनी कार्यवाही में फोरेंसिक साक्ष्य का उपयोग इष्टतम नहीं है, जिससे मामले के समाधान की सटीकता प्रभावित होती है।
- **वंचित समुदायों के लिए न्याय में देरी :** वंचित समुदायों को अक्सर न्याय तक पहुँचने में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी परिणामों में देरी और असमानताएँ होती हैं।
- **कानूनी प्रणाली का उद्देश्य** : नए कानूनों के माध्यम से इन चुनौतियों के समाधान द्वारा सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने में पहुँच, दक्षता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है।